Toppersnotes®
Unleash the topper in you

3rd – ग्रेड

अध्यापक

लेवल – द्वितीय

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

भाग – 5 (I)

सामाजिक विज्ञान - (अ)

इतिहास व राजव्यवस्था

SIERRA INNOVATIONS

3rd GRADE TEACHER

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
	भारत का इतिहास	
1.	प्राचीन इतिहास	1
2.	सिन्धु घाटी सभ्यता	3
3.	वैदिक काल	9
4.	महाजनपद	13
5.	गुप्त एवं मौर्य सम्राज्य	14
6.	जैन एवं बौद्ध धर्म	34
7.	गुप्तोत्तर काल	41
8.	वृहत्तर भारत	60
9.	भक्ति एवं सूफी आन्दोलन	62
10.	मुगल काल एवं मुगल व राजपूत सम्बन्ध	74
11.	भारतीय राज्यो के प्रति ब्रिटिश नीति	90
12.	भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव	94
13.	1857 का विद्रोह	101
14.	पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार	104
15.	राष्ट्रीय आन्दोलन या स्वतन्त्रता आन्दोलन	107
	राजनीतिक विज्ञान	
1.	भारतीय संविधान का निर्माण एवं विशेषताएँ	119
2.	मूल अधिकार एवं मूल कर्त्तव्य	125
3.	बाल अकधिकार एवं संरक्षण	129
4.	सामाजिक न्याय	131
5.	लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदाता जागरूकता	132
6.	राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति	134
7.	प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद	147

8.	संसद	150
9.	उच्चतम न्यायालय	162
10.	राज्य मंत्रीपरिषद्	169
11.	राज्य निर्वाचन आयोग	174
12.	स्थानीय स्वशासन	175
13.	संविधान संशोधन	181
14.	विविध	184

प्राचीन इतिहास

- इतिहास शब्द ग्रीक अथवा यूनानी भाषा के शब्द हिस्टोरिया से बना है जिसका अर्थ होता है खोज अथवा छानबीन ।
- इतिहास का संबंध अतीत की उन घटनाओं से है जिनका हमारे पास लिखित एवं प्रमाणित तिथि उपलब्ध है ।
- ग्रीका विद्वान हैरोडोट्स ने इतिहास की प्रथम पुस्तक ''हिस्टोरिका'' लिखी ।
- हैरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है ।
- इतिहास को जानने के लिए निम्न स्त्रोत है ।
  1. पुरातात्विक स्त्रोत
  2. साहित्य स्त्रोत
  3. विदेशी यात्रियों का यात्रा वृतांत

अध्ययन की दृष्टि से भारतीय इतिहास को हम निम्न प्रकार बांट सकते है ।

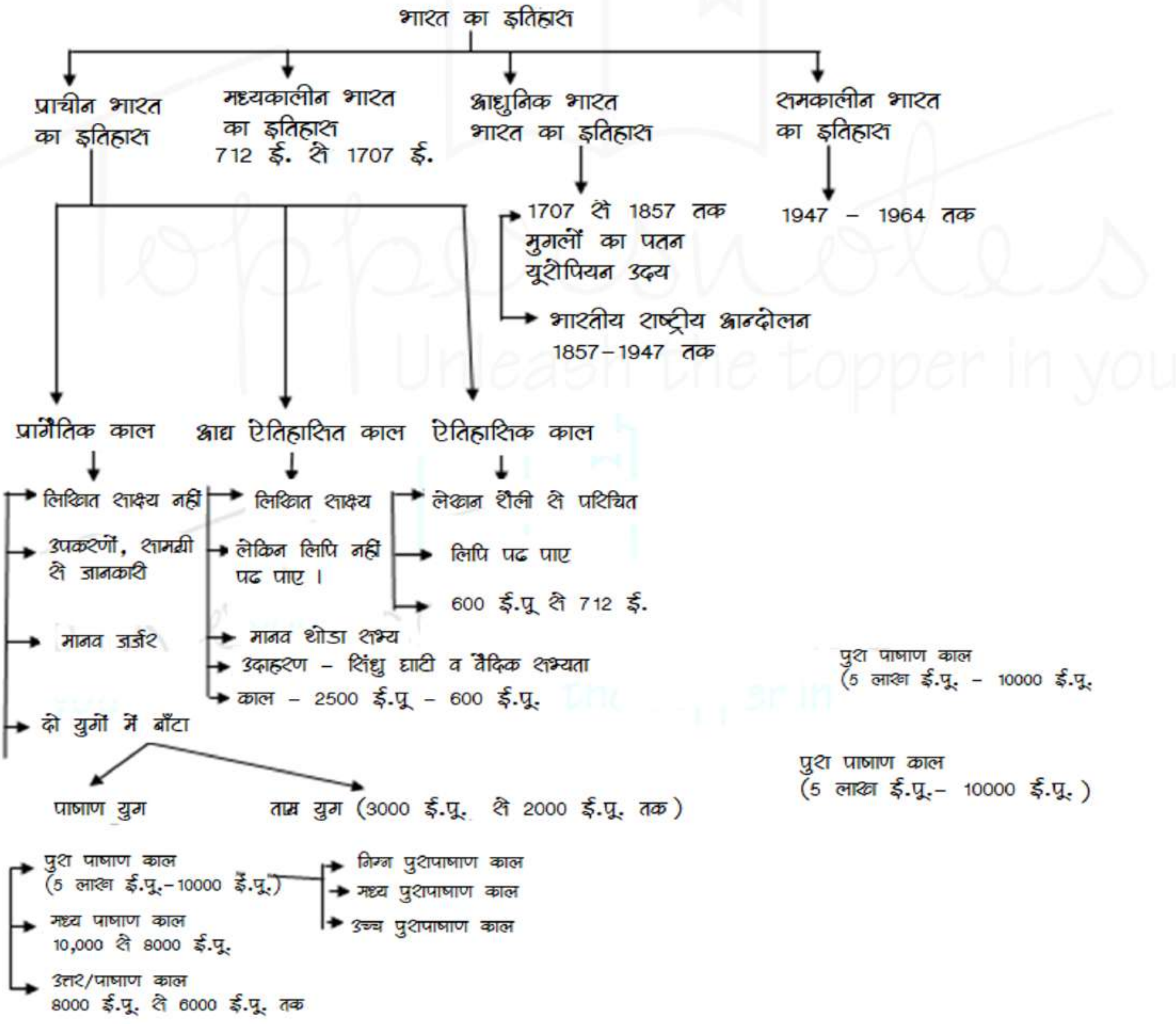

पुरापाषाण काल

- आधुनिक मानव होमो सैपिनियंस का उदय ।
- मानव आग जलाना ।
- इस काल में चापर – चौपिग संस्कृति का उदय, डी एन वाडिया ने खोज की, यह उत्तर भारतीय संस्कृति है ।
- दक्षिण भारत की संस्कृति हैण्ड – एक्स संस्कृति है इसकी खोज रॉबर्ट ब्रुस फुट ने की ।
- चापर–चौपिंग एवं हैण्ड एक्स संस्कृति (उत्तर एवं दक्षिण) मिलन स्थल चौतरान (जम्मू कश्मीर) है ।

प्रमुख स्थल

भीम बेटका – शैला शील चित्रों के प्रसिद्ध;
डीडवाना (राजस्थान); हथनौरा

मध्य पाषाण काल

- इस काल को माइक्रोलिथ काल कहते है । छोटे – छोटे पाषाण उपकरणों के कारण ।
- भारत में इस काल का जनक HCL क्लाईल ।
- मानव न इस काल में सर्वप्रर्थम पशु पालन करना सीखा ।
- पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य है । बागैार (राजस्थान) एवं आदमगढ (MP)
- मध्य पाषाण काल का सबसे प्राचीन स्थल सराय नाहर यूपी है ।

उत्तर/नव पाषाण काल

- सर जॉन लुबाक ने नव पाषाण काल शब्द दिया ।
- गार्डन चाइल्ड ने इस काल को "नव पाषाणिक क्रांति" कहा ।
- ली मेंसियर ने उत्तर भारत में नव पाषाणिक उपकरण खोजे ।
- नेविलियन फ्रैजर ने दक्षिण भारत से नव पाषाणिक उपकरण खोजे ।
- मानव ने कृषि करना सीखा ।
- वृहद पैमाने पर पशुपालन एवं ग्रामीण संस्कृति के साक्ष्य मिले ।

प्रमुख स्थल

1. मेहरगढ (पाक) – नव पाषाण काल का सबसे प्राचीन स्थल
   8000 BC पूर्व कृषि के साथ साक्ष्य मिले ।
2. कोल्डी हवा – (यूपी) – 6000 वर्ष पूर्व चावल की खेती के साक्ष्य मिले ।
3. बुर्जहोम एवं गुपफकराल (J-K) बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी मिले है ।

नोट –

प्रागऐतिहासिक काल के जनक भारत में डा. प्राइम रोज थे । जिन्होने लिंगसुमुर (कर्नाटक) से पाषाण कालीन उपकरण खोजे थे । नव पाषाण काल में दक्षिण भारत की प्रमुख फसल रागी थी ।

सिन्धु घाटी सभ्यता

परिचय

हडप्पा सभ्यता

- चार्ल्स मेसन – 1826 ई. सबसे पहले सभ्यता की ओर ध्यान आकर्षित किया ।
- जॉन ब्रंटन व विलियम ब्रंटन – 1856 ई हडप्पा नगर का सर्वे किया ।
- कनिघम इस ओर ध्यान दिलाया कनिघम को भारतीय पुरातात्विक विभाग का पितामह कहा जाता है ।
- 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया ।
- सर्वप्रर्थम इस स्थल की खोज होने के कारण यह स्थल हडप्पा सभ्यता कहलाया ।

अन्य नाम
सिंधु घाटी सभ्यता
सरस्वती नदी घाटी सभ्यता
कांस्य युगीन सभ्यता
नगरीय सभ्यता

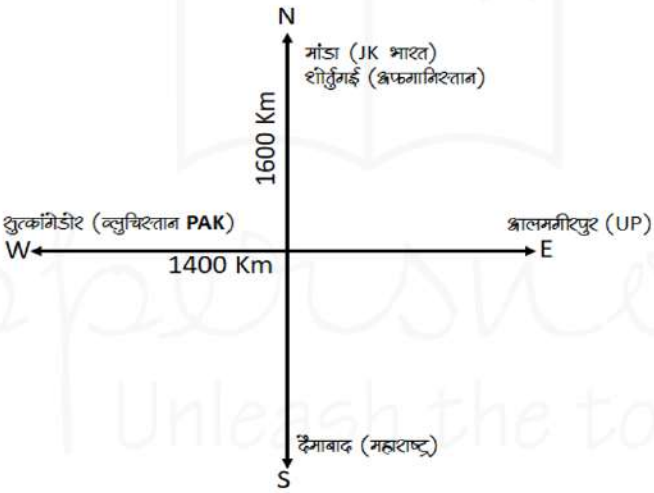

1300 किमी समुद्री सीमा

नोट

- अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के मात्र दो स्थल थे । सार्तगोई एवं मुंडीगॉक है ।
- सार्तगोई से नहरों द्वारा सिंचाई के साक्ष्य मिले है
- सिंधु घाटी सभ्यता मिश्र एवं मेसोपोटामिया के सभ्यता से 12 गुना बडी थी । जबकि मिश्र की सभ्यता से 20 गुना बडी थी ।
- आजादी से पूर्व खोजे समस्त स्थल पाकिस्तान में चले गये । भारत में केवल दो स्थल रहे, रंगपुर (गुजरात) और कोटला निहंगखां (रोपड पंजाब)
- भारत का सबसे बडा स्थल राखीगढी (हरियाणा) है, दूसरा बडा स्थल धौला वीरा (गुजरात) है ।
- पिग्गट ने हडप्पा एवं मोहनजोदडो को सिन्धु सभ्यता की जुँडवा राजधानी बताया है ।
- बडे नगर (पाकिस्तान)
    - गनेडीवाल
    - हडप्पा
    - मोहनजोदडों

कालक्रम

जॉन मार्शल – 3250 ईसा पूर्व – 2750 ईसा पूर्व
माधोस्वरूप वत्स – 3500 ईसा पूर्व – 2700 ईसा पूर्व
रेडियो कार्बन पद्वति – 2300 ईसा पूर्व – 1750 ईसा पूर्व
एनसीआरटी – 2500 ईसा पूर्व – 1750 ईसा पूर्व
फेयर सर्विस – 2000 ईसा पूर्व – 1500 ईसा पूर्व
अर्नेस्ट मैके – 2800 ईसा पूर्व – 2500 ईसा पूर्व

निवासी

यहां से प्राप्त कंकालों के अधार पर चार प्रजातियों में बांटा जा सकता है ।

1. **भूमध्य सागरीय**
2. **अल्पाईन**
3. **मंगोलायड**
4. **प्रोटो आस्ट्रालायड**

सर्वाधिक प्रजाति भूमध्य सागरीय प्रजाति मिली है ।

नगर नियोजन

- नगर दो भागेां में विभाजित – पश्चिमी भाग एवं पूर्वी भाग । पश्चिमी भाग दुर्ग था, पूर्वी भाग सामान्य नगर था ।
- पश्चिमी भाग में प्रशासनिक लोग रहते थे । तथापूर्वी भाग में जनसामान्य लोग रहते थे ।
- सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईटों के मकान है ।
- सिन्धु घाटी के समकालीन सभ्यताओ मे इस विशेषता का अभाव ।
- नगर परकोटे युक्त होते थे ।
- घरों के दरवाजे मुख्य सडक की तरफ न खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे । केवल लोथल में मुख्य सडक की तरफ घरों के दरवाजे खुलते थे ।
- कालीबंगा दोहरे परकोटे युक्त है । जबकि चन्हुदडो में कोई परकोटा नही ।
- धोलाबीरा तीन भागों में विभक्त है । पश्चिमी, पूर्वी एवं मध्यमा ।
- लोथल एवं सुरकोटडा का पश्चिमी एवं पूर्वी भाग दोनो ही एक ही परकोटे से घिरे हुए है ।

- नगर ग्रिड पद्धति पर आधारित थे अर्थात शतरंज के बोर्ड की तरह सभी नगरों को बसाया था । सभी मार्ग समकोण पर काटते थे ।
- सबसे चौडी सडक 10 मीटर (मोहनजोदडो) की मिलती है जो सम्भवतः राजमार्ग रहा होगा ।
- घरो मे उत्कृष्ट नाली व्यवस्था (जल निकासी हेतु)
- बडी नालियो को ढक कर रखते थे ।
- भवन के अन्दर सामान्यतः 3 या 4 कक्ष, रसोईघर, 1 विद्यालय स्नानागार एवं कुआं होता था ।
  कच्ची एवं पक्की ईंटो का प्रयोग करते थे ।
  ईंट का आकार – 1 : 2 : 4
  जल निकासी हेतु पक्की ईटों की नालियां होती थी विश्व की किसी अन्य सभ्यता में पक्की नालियों के साक्ष्य नही मिलते थे ।

प्रमुख नगर

1. हडप्पा

पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी जिले मे स्थित (अब – शाहीवाल जिले मे) रावी नदी के तट पर

- उत्खननकर्ता – दयाराम साहनी
- रावी नदी के तट पर श्रमिको के आवास एवं अन्नागार मिलते हैं ।
- R – 37 नामक कब्रिस्तान मिलता है । एक शव को ताबूत मे दफनाया गया है, इसे विदेशी की कब्र कहते है ।
- टीले पर निर्मित – व्हीलर ने “माउण्ट A – B” कहा
- शंख का बना बैल 18 वर्ताकार चबूतरे मिले है ।
- यहां से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरें मिली है ।
- 6 – 6 की पंक्ति में कुल 12 कमरों वाला आवास स्थल मिला है ।
- एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा की मृणमूर्ति मिली है । सम्भवतः उर्वरता की देवी होगी ।

2. मोहनजोदडो

स्थिति त्र लरकाना (सिन्ध, PAK)
सिन्धु नदी के तट पर
उत्खननकर्ता त्र राखालदास बनर्जी
मोहनजोदडो का शाब्दिक अर्थ त्र मृतकों का टीला (सिन्धी भाषा)

(i) **विशाल स्नानागार –**
  a. 11.88 × 7.01 × 2.43 मीटर
  b. सम्भवतया यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता रहा होगा ?
  c. सर जॉन मार्शल ने इसे तात्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है ।

(ii) विशाल अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बडी इमारत है । ल. 45.71×15.23 मीटर चौडी है ।
(iii) महाविद्यालय के साक्ष्य
(iv) सूती कपडे के साक्ष्य
(V) हाथी का कपालखण्ड
(vi) कांसा की नर्तकी की मूर्ति मिली है ।
(vii) पुरोहित राजा की मूर्ति जो ध्यान की अवस्था में है ।
  (a) इसने शॉल ओढ रखी है जिस पर कशीदाकारी का कार्य किया गया है ।

(viii) यहाँ से मेसोपोटामिया की मुहर मिलती है ।
(ix) योगी की मूर्ति मिली है ।
(x) आघ शिव की मूर्ति मिली है ।
(xi) बाढ से पतन के साक्ष्य मिलते है ।
(xii) सर्वाधिक मुहरें सिंधु घाटी सभ्यता के यहां मिलती है ।

3. लोथल

स्थिति = गुजरात

- भोगवा नदी के किनारे
  उत्खननकर्ता = S. R. राव (रंगनाथ राव)
  → यह एक व्यापारिक नगर था ।

(i) यहाँ से गोदीवाडा (Dockyard) मिलता है
  (a) यह सिन्धु घाटी सभ्यता की सबसे बडी कृति है ।
(ii) मनके (Bead) बनाने का कारखाना
(iii) चावल के साक्ष्य
(iv) फारस की मुहर जो गोलाकार बटननुमा है
(v) घोडे की मृण्मूर्तियाँ
(vi) चक्की के दो पाट
(vii) घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते हैं (एकमात्र)
(viii) छोटे दिशा सूचक यंत्र

4. सुरकोटडा / सुरकोटदा

स्थिति = गुजरात
(i) घोडे की हड्डियाँ
सिन्धु घाटी सभ्यता के लोगो को घोडे का ज्ञान नहीं था ।

5. रोजदी (गुजरात)

हाथी के साक्ष्य

6. रोपड (PB)

मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य

7. धौलावीरा

गुजरात – कच्छ जिला (किसी नदी तट पर नहीं)
उत्खननकर्त्ता – रविन्द्र सिंह विष्ट (1990 में)

- यह सबसे नवीन नगर है जिसका उत्खनन किया गया
- कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य । संभवतः नहरों के माध्यम से खेती करते होंगे । (दुर्गाभाग, मध्यम नगर, निचला)
- यह नगर 3 भागों में बंटा हुआ था ।
- स्टेडियम एवं सूचना पट्ट के अवषेश मिलते है (खेल का मैदान)

8. चन्हुदडों

उत्खननकर्त्ता – एन. मजूमदार (डाकूओं ने हत्या कर दी) – अर्नेस्ट मैके

- मनके बनाने के कारखाने (मणिकारी), मुहर बनाने का काम आदि ।
- औद्योगिक नगर
- झाकर एवं झुकर संस्कृति के साक्ष्य मिलते है ।
- कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के पद चिन्ह है ।
- एक सौन्दर्य पेटिका मिली है । जिसमें एक लिपिस्टिक है ।

कालीबंगाः–
अवस्थिति– हनुमानगढ
नदी–घग्घर / सरस्वती / दृशद्वती / चौतांग
उत्खननकर्ता– अमलानन्द घोश
(1952)अन्य सहयोगी– बी. बी. लाल
बी. के. थापर
जे. पी. जोशी एम. डी. खर्रे
शाब्दिक अर्थ– काली चुड़िया
(पंजाबी भाषा का शब्द)
उपनाम– दीन हीन बस्ती– कच्ची ईटों के मकान ।

सामग्री

- सात अग्नि वेदिकाएँ एवं हवन कुण्ड मिले है ।
- युग्मित शवाधान प्राप्त हुए ।
- एक मानव कपाल खण्ड मिला है, जिसे मस्तिष्क शो धन बीमारी तथा शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है ।
- जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते है (एकमात्र स्थान) एक साथ दो फसले, उगाया करते थे, जौ एवं सरसों
- मकान कच्ची ईटों के थे बल्लियो की छत होती थी
- जल निकाली हेतु लकडी की नालियों के साक्ष्य मिले है अर्थात सृदृढ जल निकासी व्यवस्था नही थी ।
- ईटों को धूप से पकाया जाता था ।
- वृताकार चबूतरे एवं बेलनाकार मुदरे (मैसोपोटामिया) मिली है ।
- लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिले है जिन पर काली एवं सफेद रंग की रेखाएँ खीचीं गई है ।
- यहां से एक खिलौना गाडी एवं पंख फैलाए बगुले की मूर्ति मिली है।
- यहां से बैल व वारहसिंहा के अस्थि अवशेष मिले है।
- यहां का नगर अन्य हड़प्पा स्थलों की तरह ही है, लेकिन यहां गढी एवं नगर दोनों दोहरे परकोटे युक्त है।
- यहां उत्खनन में पांच स्तर प्राप्त हुए है प्रथम दो स्तर प्राक हड़प्पा कालीन है । अन्य तीन स्तर समकालीन हडप्पा है
- यहां प्राचीनतम भूकम्प के साक्ष्य प्राप्त होते है ।
- इतिहाकसकार दशरथ शर्मा के अनुसार यह हडप्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी है ।
- यहां एक कब्रिस्तान मिला है जिसे यहां के लोगों की शवाधान पद्धति की जानकारी भी मिलती है।

हडप्पा लिपि

- लगभग 64 मूल चिह्न व 400 तक अक्षर
- इन्हें लिपि का ज्ञान था

अम्बेडकर एवं भारतीय संविधान का निर्माण व विशेषताएँ

- सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज्य विधेयक में संविधान की माँग रखी गई, जो आगे चलकर नींव का पत्थर साबित हुआ।
- सन् 1922 में महात्मा गाँधी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होना चाहिए। उसे भारतीय ही बनाएगें।
- सन् 1924 में सर्वप्रथम मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की माँग की, जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दी।
- सन् 1924 में ही एम.एन.राय ने (समाजवादी पार्टी संस्थापक) संविधान सभा की मांग की, अतः इसे संविधान सभा का प्रतिपादक कहा जाता है।
- श्याम चतुर्वेदी ने, ''1928 की नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिन्ट कहा है''।
- सन् 1929 में नेहरू कांग्रेस के **लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग** की व संविधान की बात की।
- 1931 में कराची कांग्रेस अधिवेशन में सरदार पटेल ने संविधान की प्रत्यक्ष मांग की।
- सन् 1936 में पं. नेहरु ने संविधान की मांग, की इस मांग को अगस्त 1940 में लिनलिथगों के द्वारा पूर्ण रुप से स्वीकार कर ली गई।
- सन् 1942 क्रिप्स मिशन ने भी संविधान की बात मान ली गई।
  नोट – 24 मार्च, 1946 को कैबिनेट मिशन योजना भारत (दिल्ली) आया और उसने भारतीय संविधान के लिए एक संविधान सभा बनाई।
- **कैबिनेट योजना में तीन सदस्य थे –**
  1. पैथिक लॉरेंस (अध्यक्ष)
  2. क्रिप्स
  3. एलेक्जेण्डर
- कैबीनेट मिशन योजना ने 16 मई, 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें संविधान सभा बनाने को प्राथमिकता दी।
- भारतीय संविधान सभा के लिए **389 सदस्यों** की एक सभा बनाई गई।
- चुनाव प्रक्रिया :– 296 का अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ।
- 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों से
- 04 सदस्य चीफ कमीश्नर क्षेत्रों से (मेरवाडा, दिल्ली, कुच, बलुचिस्तान)
- 93 सदस्यों देशी राजाओं द्वारा मनोनयन
- कुल – 389
- 296 सदस्यों की दलीय स्थिति निम्न प्रकार से है :–
  - कांग्रेस – 208
  - मुस्लिम लीग – 73
  - अन्य दल – 07
  - निर्दलीय – 08
  - कुल – 296

  नोट – इनका चुनाव साम्प्रदायिकता के आधार पर हुआ जिनका परिणाम निम्न प्रकार है :–
  - सामान्य – 213
  - मुस्लिम – 79
  - सिक्ख – 04 (चारों वर्ग पंजाब से है)

  नोट – संविधान सभा की **प्रथम बैठक 09 दिसम्बर, 1946** को नई दिल्ली स्थित कौन्सिल चैम्बर पुस्तकालय में हुई थी।

- इस बैठक में **सच्चिदानन्द सिन्हा को अस्थाई (सदस्य)** चुना गया।
- इस बैठक में 207 सदस्य ही उपस्थित थे, क्योंकि इसमें मुस्लिम दल से और हैदराबाद रियासत से कोई सदस्य नहीं आया था।
- **दूसरी बैठक – 11 दिसम्बर, 1946** को हुई, जिसमें **डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को** संविधान सभा का **स्थायी अध्यक्ष** चुना गया जो अन्त तक रहे।
- **11 दिसम्बर, 1946** को **बी.एन. राव** को संविधान सभा का **संवैधानिक सलाहाकार** बना दिया गया, जिसने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था।
- **तीसरी बैठक – 13 दिसम्बर, 1946** को हुई जिसमें अन्तरिम सरकार के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जो 22 जनवरी, 1947 को पारित हो गया।
- **22 जनवरी, 1947** प्रस्तावना (उद्देश्य) के बाद **29 अगस्त, 1947** को प्रारूप समिति बनी, जिसके **अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर** को बनाया गया।

  इस समिति में अम्बेडकर सहित सात सदस्य थे (सभी सदस्य वकील थे)।
  1. बी.आर. अम्बेडकर
  2. एन. गोपाल स्वामी
  3. अल्लादी कृष्ण अय्यर
  4. K.M. मुंशी
  5. मोहम्मद सादुल्ला
  6. एन. माधव राय (बी.एल. मित्र के स्थान पर)
  7. डी.पी. खेतान (कार्यकाल में मृत्यु) इसके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी
- **संविधान की त्रिमूर्ति – पं. नेहरु, सरदार पटेल, अब्दुल मौलाना** आजाद को माना जाता है।
- 24 जनवरी, 1947 को **संविधान सभा का उपाध्यक्ष** चुना गया → **एच.सी. मुखर्जी को।**
- 22 जुलाई, 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रुप में तिरंगें को स्वीकार किया गया।
- संविधान सभा में कुल 22 समितियाँ थी।
- 21 फरवरी, 1948 को प्रारुप समिति ने संविधान का प्रारूप बनाकर अध्यक्ष को सौंपा।
- संविधान में 11 अधिवेशन हुए।
- संविधान सभा की 166 दिन बैठक हुई।
- संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई।
- संविधान प्रारूप का तीन बार वाचन हुआ।
- संविधान का सर्वप्रथम वाचन डॉ. राधाकृष्णन सर्वपल्ली ने किया था।
  - **प्रथम वाचन –** 04 नवम्बर, से 09 नबम्बर, 1948 तक
  - **द्वितीय वाचन –** 15 नवम्बर, 1948 से 17 अक्टूबर, 1949 तक
  - **तृतीय वाचन –** 14 नवम्बर, से 26 नवम्बर, 1949 तक
- 26 नवम्बर, 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। इस दिन इसे अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित कर लिया गया ।
- इस दिन 15 अनुच्छेद (5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392, 393) को लागू किया गया।
- प्रतिवर्ष **26 नवम्बर** को भारत **कानून दिवस (विधि दिवस)** के मनाता है।
- संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी, 1950 को हुई। इस समय सभा में 284 सदस्य उपस्थित थे।
- संविधान सभा की अन्तिम बैठक में 284 सदस्य मौजूद थे, जिन्होनें संविधान पर हस्ताक्षर किये।

- संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर बलवंत राय मेहता ने किये (बीकानेर रियासत)।
- संविधान की तीन कॉपी बनाई गई।
- 24 जनवरी, 1950 को गुरु रवीन्द्र नाथ टैगौर द्वारा रचित (जन गण मन) को राष्ट्रगान के रुप में अपनाया गया।
- 24 जनवरी, 1950 को ही बंकिमचन्द्र चटर्जी द्वारा आनन्द मठ से रचित वन्दे मातरम् गीत को राष्ट्रीय गीत के रुप में अपनाया गया। (यह मुण्डकोपनिषद् से लिया गया)।
- भारत का संविधान **02 वर्ष 11 माह 18 दिन** में बनकर तैयार हुआ। (कुल – 1082 दिन)
- संविधान सभा में कुल 64 लाख रुपये खर्च हुए। (63,96,729 रुपये)
- संविधान सभा में अम्बेडकर का निर्वाचन पं. बंगाल से हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल मुम्बई से चुनकर आये।
- संविधान सभा में राजेन्द्र प्रसाद, सच्चिदानन्द सिन्हा बिहार में चुने गये।
- संविधान सभा में राजस्थान के 12 सदस्य शामिल थे।
- संविधान सभा में 15 महिलाएँ सदस्य थी। (हंसा मेहता महिला अध्यक्ष)
- संविधान सभा में एस.सी. तथा एस.टी. के 26 सदस्य थे।
- 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया। इसी दिन भारत सरकार प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रुप में मनाते है।
- संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 08 अनुसूचियाँ बनाई गयी थी। अब अनुसूचियाँ बढ़कर 12 हो गई है।
- 24 जनवरी, 1950 को राजेन्द्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया। भारत को एक गणतंत्र राज्य बना दिया गया।
- भारतीय संविधान का जनक, मनु, पिता, वास्तुकार बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है।
- संविधान सभा में 15 महिलाएँ थी, जिसमें 08 महिलाएँ ही संविधान पर हस्ताक्षर करती है।
- संविधान सभा में पं. जवाहर लाल नेहरु उत्तर प्रदेश से चुनकर आये थे।
  नोंट – महात्मा गाँधी, मोहम्मद अली जिन्हा, कहीं से भी चुनकर नही आये थे।
- संविधान निर्माण के समय **कांग्रेस के अध्यक्ष जे. बी. कृपलानी** थे।
- संविधान निर्माण व भारत की आजादी के समय इग्लैण्ड के प्रधानमंत्री क्लाइमेंट एटली व सम्राट जार्ज VI थे।
- संविधान निर्माण के प्रारम्भ में गवर्नर जनरल लॉर्ड बेबेल थे व बाद में लार्ड माउन्ट बेटन थे।
- 03 जून, 1947 को माउन्ट बेटन योजना द्वारा भारत का विभाजन हुआ, जिससे संविधान सभा प्रभावित हुई।
- विभाजन के बाद संविधान सभा में 324 सदस्य रह गए। आजादी के बाद संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 31 अक्टूबर, 1947 को हुआ, जिसमें 299 सदस्य थे। उपस्थित हुए।
- संविधान दिवस/विधि/कानून दिवस 26 नवम्बर

संविधान सभा की समितियाँ व अध्यक्ष

समिति	अध्यक्ष
प्रारुप समिति	बी. आर. अम्बेडकर
संचालन समिति	राजेन्द्र प्रसाद
संघ संविधान समिति	पं. जवाहर लाल नेहरु
संघ शक्ति समिति	पं. जवाहर लाल नेहरु
प्रान्तीय संविधान समिति	सरदार वल्लभ भाई पटेल
राष्ट्र ध्वज समिति	राजेन्द्र प्रसाद
झण्डा समिति का अध्यक्ष	जे. बी. कृपलानी
मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक समिति	सरदार पटेल

दो उपसमितियाँ भी प्रमुख है :–

1. मौलिक अधिकार उपसमिति	जे. बी. कृपलानी
2. अल्पसंख्यक संबंधित उपसमिति	एच. सी. मुखर्जी

भारतीय संविधान के प्रावधान/स्त्रोत्

- भारत का संविधान भारतीयों ने बनाया जरुर था, लेकिन विदेशों के संविधान से प्रावधान लेकर बनाया, अतः भारतीय संविधान को उधार का संविधान भी कहते है।
- **इंग्लैण्ड के संविधान से –** संसदीय व्यवस्था, लोकसभा अध्यक्ष का पद, विधि का शासन, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, इकहरी नागरिकता नियंत्रण, महालेखा परीक्षक का पद, सर्वाधिक मतों से विजय का फैसला।
- **अमेरिका –** मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक पुनर्वलोकन शक्ति, वित्तीय आपातकाल।
- **आयरलैण्ड** – राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, राज्य सभा में सदस्यों का मनोनयन, एकल संक्रमणीय पद्धति।
- **कनाडा –** संघात्मक शासन, अपशिष्ट शक्ति केन्द्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति, संघ व राज्य शक्ति।
- **सोवियत संघ (रूस)** – मौलिक कर्त्तव्य, पंचवर्षीय योजना, आर्थिक नियोजन।
- **ऑस्ट्रेलिया –** प्रस्तावना, समवर्ती सूची, केन्द्र व राज्य के बीच संबंध संसदीय विशेषाधिकार, संयुक्त बैठक।
- **फ्रांस –** गणतंत्रीय व्यवस्था, स्वतंत्रता समानता, बन्धुत्व के विचार।
- **जर्मनी –** आपातकाल व्यवस्था,
- **जापान –** कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
- **दक्षिण अफ्रीका –** संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्य सभा सदस्यों का निर्वाचन
- सन् 1935 में भारत शासन अधिनियम से – अधिकतर स्त्रोत लिये गये हैं
- इसका प्रभाव भारतीय संविधान पर सर्वाधिक पड़ा।

भारतीय संविधान के भाग

भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है, जिन्हें 22 भागों में बाँटा गया है। (महत्वपूर्ण भाग निम्नलिखित है)

भाग	**अनुच्छेद**	
भाग – 1	संघ और राज्य क्षेत्र	(अनु. 1 से 4 तक)
भाग – 2	नागरिकता	(अनु. 5 – 11)
भाग – 3	मूल अधिकार	(अनु. 12 – 35)
भाग – 4	राज्य के नीति निदेशक तत्व	(अनु. 36 से 51)
भाग – 4 (क)	मूल कर्त्तव्य	(अनु. 51 क)
भाग – 5	संघ सरकार	(अनु. 52 – 151)
भाग – 6	राज्य सरकारें	(अनु. 152 – 237)
भाग – 9	ग्राम पंचायतें	(अनु. 243 क से 243 ण)
भाग – 9 (क)	नगरपालिकाऐं	(अनु. 243 त 243 य छ)
भाग – 12	वित्त सम्पत्ति, प्रसंविदाएँ	(अनु. 264 – 300 (क))
भाग – 15	चुनाव आयोग	(अनु. 324 –329)
भाग – 17	भाषा संबंधी	(अनु. 343 –351)
भाग – 18	आपात उपबंध	(अनु. 352 –360)
भाग – 20	संविधान संशोधन	(अनु. 368)

- **भाषा संबंधी** – मूल संविधान में 14 भाषा थी वर्तमान में 22 है। 21 वें संशोधन (1967) सिन्धी भाषा को जोड़ा गया है। 14 + 1 = 15
- 71 वें संशोधन (1992–93) तीन भाषा – नेपाली, कोकणी, मणिपुर को जोड़ा गया। ट्रिक – कोमन 15 + 3 = 18
- 92 वें संशोधन (2003) चार भाषा जोड़ी गई। 18 + 4 = 22
- ट्रिक बूढी डोकरी की थाली में मैथी बोडा, डोगरी, संथाली, मैथिली।

भारतीय संविधान की विशेषताएँ (लक्षण)

1. प्रस्तावना या उद्देश्य
2. निर्मित, लिखित और सबसे बड़ा संविधान
3. लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान
4. सम्पूर्ण प्रभुत्व, सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य
5. संसदात्मक शासन व्यवस्था
6. संघात्मक और एकात्मक का समन्वय
7. मूल अधिकार तथा मौलिक कर्त्तव्य
8. राज्य के नीति निदेशक तत्व
9. इकहरी नागरिकता
10. एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका
11. वयस्क मताधिकार
12. पंथ या धर्म निरपेक्ष राज्य
13. समाजवादी राज्य
14. लोक कल्याणकारी राज्य
15. कठोरता और लचीलेपन का समन्वय
16. सामाजिक एकता
17. राष्ट्रीय भाषा या एक राज भाषा
18. संकटकालीन शक्तियाँ या प्रावधान
19. विश्व शांति पर जोर
20. संविधान की सर्वोच्चता
21. त्रिस्तरीय सरकार
22. विभिन्न स्त्रोत

डॉ. भीमराव अम्बेडकर (1891–1956)

- जीवन की सफलता अछूतों का मानवता के स्तर तक लाने में है – अम्बेडकर।
- भीमराव का जन्म 14 अप्रैल, 1891 ई. को इन्दौर के पास महू छावनी में हुआ था। (महाराष्ट्र)
- बचपन का नाम – भीम सकपाल था।
- इनका जन्म महार जाति में हुआ था, जो महाराष्ट्र में अछूत समझी जाती थी।
- वे अपनी माँ की 14 वीं अन्तिम सन्तान थे इसलिए इन्हें अपने का परिवार का 14 वॉ रत्न कहा जाता था।
- इनकी माता का नाम भीमाबाई व पिता का नाम रामजी सकपाल थे।
- भीमराव ने हाई स्कूल तक का अध्ययन सतारा में किया था उसके बाद बी.ए. बडौदा से और गायकवाड़ छात्रवृत्ति पर ही भीमराव को 1913 में अमेरिका के कोलम्बिया विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया।
- वे भारत के पहले अछूत और महार थे जो पढ़ने के लिए विदेश गये थे।
- सन् 1915 में उन्होनें अर्थशास्त्र में एम.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की।
- सन् 1917 में कोलम्बिया विश्वविद्यालय से ही पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की। विषय – भारत में जातिवाद।
- सन् 1923 में भारत लौटने पर उन्होनें वकालत प्रारम्भ की और 1923 में उन्होनें बम्बई में एक पाक्षिक समाचार पत्र ''बहिष्कृत भारत '' का प्रकाशन प्रारम्भ किया।
- जुलाई, 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की।
- अप्रैल, 1925 में उन्होनें बम्बई प्रेसिडेंसी में नेपानी नाम स्थान पर प्रान्तीय दलित वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता की, 1928 में साइमन कमीशन के सम्मुख अम्बेडकर ने ज्ञापन प्रस्तुत किया।
- 8 अगस्त, 1930 को नागपुर में आयोजित 'अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन' की अम्बेडकर ने अध्यक्षता की।
- सन् 1930 से सन् 1933 के बीच ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अम्बेडकर ने दलित वर्गों के प्रतिनिधि के रुप में भाग लिया।

- सन् 1932 में यरवदा जेल में अम्बेडकर व गांधी के बीच प्रसिद्ध ''पूना पैक्ट'' (पूना समझौता) पर हस्ताक्षर हुए।
- अम्बेडकर ने अगस्त, 1936 में इंडिपेक्ट लेवर पार्टी की स्थापना की जिसे बाद में अखिल भारतीय अनुसूची जाति संघ में बदल दिया।
- सन् 1942 में भारत के गवर्नर जनरल ने उनकी नियुक्ति अपनी कार्यकारिणी में मजदूरों के नेता के रुप में की, इस पर वे सन् 1946 तक कार्य करते रहे।
- सन् 1946 में संविधान सभा के सदस्य बने तथा 29 अगस्त 1947 को उन्हें भारत संविधान के प्रारूप में तैयार करने वाली समिति का प्रधान बनाया गया।
- सन् 1947 के नेहरू के प्रथम मंत्रिमण्डल में भारत के प्रथम विधि मंत्री बने। (कानून मंत्री)।
- कानून मंत्री के रूप में उनका सबसे अधिक प्रमुख कार्य 'हिन्दू कोड बिल' था।
- 1951 में हिन्दू कोड़ बिल पर मतभेद के कारण यह पद छोड दिया। इसके कारण उन्हें 'आधुनिक मनु' की संज्ञा दी जाती है।
- सन् 1955 में उन्होनें भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की।
- 14 अक्टूबर, 1956 को उन्होनें नागपुर में हुई ऐतिहासिक सभा में 5 लाख व्यक्तियों के साथ बौर्द्ध धर्म ग्रहण किया।
- 15 नवम्बर, 1956 को अम्बेडकर ने विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लिया और बुद्ध तथा मार्क्स विषय पर व्याख्यान दिया।
- अन्त में 6 दिसम्बर, 1956 को प्रातः काल की वेला में उनका निधन हो गया।
- निर्भयता स्पष्टवादिता और अक्खड़पन उनका स्वभाव के अंग थे जो सदैव उनके साथ बने रहे। उन्होनें समता सैनिक दल की स्थापना की।
- **प्रमुख रचनाएँ** – शुद्र कौन, पाकिस्तान या भारत का विभाजन, राज्य और अल्पसंख्यक(1947), गाँधी एण्ड गांधीज्म, भाषायी राज्यों पर विचार, द कास्ट इन इण्डिया, प्रोब्लम ऑफ द रूपी (1923), द बुद्धा एण्ड हिज धम्मा (1946), वाट कांग्रेस एण्ड गांधी हेव इन टू द अनटचेबल (1945), कस्टम्स इन इण्डिया (1947)।
- इन्हें भारत का लिंकन और मार्टिन लूथर कहा जाता था।
- अम्बेडकर दलितों के मसीहा थे। उन्होनें अपना पूरा जीवन दलितोद्धार में लगा दिया।
- इन्होनें दलितोद्धार के लिये धर्म परिवर्तन का भी सहारा लिया।
- अम्बेडकर – ''शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो '' मै हिन्दू धर्म में पैदा हुआ, क्योंकि वह मेरे हाथ की बात नही थी, किन्तु मैं हिन्दू धर्म के रुप में मरूगा नही। सामाजिक अधिकारों के विषय में मनु की संहिता निकृष्टतम है '' जाति प्रथा को नष्ट करने का एक ही मार्ग है – अन्तर्जातीय विवाह न कि सहभोजा खून का मिलना ही अपनेपन की भावना ला सकता है। '' भारत में जाति, वर्ग से ज्यादा महत्वपूर्ण है '' यदि देश का विभाजन कांग्रेस की मजबूरी हो जाती है तो भारत में एक भी मुसलमान को रहने का हक नहीं होना चाहिये। मैं नहीं चाहता कि भारत देश के विध्वंस के रुप में मेरा नाम रहे ''। ''पढों संगठित बनो संघर्ष करों''। जो संघर्ष करते है यश उनका ही वरण करता है।
- अम्बेडकर अत्यधिक प्रभावित थे – बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से।
- अम्बेडकर ने भारत छोडों आन्दोलन को गैर जिम्मेदाराना, पागलपन और राजनीतिक दिवालिया की संज्ञा दी थी।
- उन्होनें जनवरी, 1920 में महाराजा कोल्हापुर की आर्थिक सहायता से अस्पृश्यों की समस्याओं को उजागर करने के लिये ''मूक नायक'' नाम से एक समाचार पर एक पत्र प्रकाशित किया।
- अम्बेडकर के नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियाँ भी जलाई गई।

मूल अधिकार (Fundamental Rights)

- "भारतीय संविधान में मौलिक/मूल अधिकार"
- भारतीय संविधान के भाग 3 में अनु. 12–35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है।
- भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए है।
- मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मेग्नाकार्टा और अधिकार पत्र कहा जाता है।
- इसकी प्रकृति नकारात्मक है।
- मूल अधिकार न्याय और वाद के योग्य होते है।
- मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को सात मूल अधिकार प्रदान किये थे।
- परन्तु 44 वें संविधान संशोधन 1978–79 के द्वारा संपति के अधिकार को मूल अधिकारो से हटा दिया और उसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 (क) स्थान दिया गया है।
- अब संपति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है।
- वर्तमान में भारतीय नागरिकों के पास 6 मूल/मौलिक अधिकार है।

नोट – सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सर्वप्रथम 1931 के कराची अधिवेशन में अपने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की माँग की थी मूल अधिकारों का प्रारूप पं. जवाहरलाल ने बनाया था।

साधारण (General)

अनुच्छेद 12 : परिभाषा

अनुच्छेद 13 : मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ

1. समता का अधिकार (Right to Equality)

अनुच्छेद 14 : विधि के समक्ष समता

अनुच्छेद 15 : धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध

अनुच्छेद 16 : लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता

अनुच्छेद 17 : अस्पृश्यता का अंत

अनुक्षछेद 18 : उपाधियों का अंत

2. स्वातंत्रय – अधिकार (Right to Freedom)

अनुच्छेद 19 : वाक्–स्वातंत्रय आदि विषयक कुछ अधिकारो का संरक्षण इसमें भारतीय नागरिकों को सात स्वतंत्रताएँ, प्रदान की गई थी। लेकिन 44 वें संविधान संशोधन में संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया गया (19 F) अब 6 स्वतंत्रताएँ है।

अनुच्छेद 19 – a : विचार अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 19 – b : संघ बनाने की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 19 – c : सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 19 – d : निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता (जम्मू कश्मीर को छोडकर)

अनुच्छेद 19 – e : भ्रमण करने की स्वतंत्रता (केवल भारत)

अनुच्छेद 19 – g: व्यापार वृत्ति कारोबार की स्वतंत्रताएँ

अनुच्छेद 20 : अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

अनुच्छेद 21 : प्राण और दैहहिक स्वतंत्रता का संरक्षरण

अनुच्छेद 22 : कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण

3. शोषण के विरूद्ध अधिकार (Right Against Exploitation)

अनुच्छेद 23 : मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध

अनुच्छेद 24 : कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध

4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion)

अनुच्छेद 25 : अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 26 : धार्मिक कार्यो के प्रबंध की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 27 : किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता

अनुच्छेद 28 : कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता

5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (Cultural and Educational Rights)

अनुच्छेद 29 : अल्पसंख्यक– वर्गों के हितों का संरक्षण

अनुच्छेद 30 : शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

अनुच्छेद 31 : निरसित

कुछ विधियों की व्यावृत्ति (Saving of Certain Laws)

अनुच्छेद 31– क : संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों का व्यावृत्ति।

अनुच्छेद 31–ख : कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण

अनुच्छेद 31 – ग : कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति ।

अनुच्छेद 31 – घ : निरसित।

6. संविधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)

अनुच्छेद 32 : इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार।

अनुच्छेद क : निरसित

अनुच्छेद 33 : इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति।

अनुच्छेद 34 : जब किसी क्षेत्र मे सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन

अनुच्छेद 35 : इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान।

नोट –

- अनुच्छेद 20, 21 को छोडकर राष्ट्रपति शासन (356 आपात)के समय सभी अधिकार निलंबित हो जाएंगे।
- राष्ट्रपति आपात में (356) सर्वप्रथम अनुच्छेद 19 निलंबित होगा।
- 86 वें संविधान 2002 द्वारा भारतीय नागरिकों को एक और नया अधिकार मिला "निःशुल्क अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का अधिकार" जिसके द्वारा 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा इस अधिकार को अनु. 21 (क) में जोडा गया है और इसे 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोडकर संपूर्ण भारत में लागू किया गया।
- मूल अधिकारों (भाग 3) को प्रशासकों की "आचरण संहिता" माना जाता है।